(8)

3

10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–विदिशा

A. 3573-PBR/12

श्री के.के. द्विवेदी अभि. द्वारा आज दि. 16.10.12 को प्रस्तुत ... 10.12 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– हकीम खां पुत्र दल्ले खा
2– भूरे खां पुत्र करीम खां
3– फैयाज खां पुत्र करीम खां
निस्पत खां पुत्र कैरी खा (फौत) वारिसान
4– आरिफ खान पुत्र स्व. निस्पत खान
5– जावेद खां पुत्र स्व.निस्पत खान
6– बाबू खान पुत्र स्व.निस्पत खान
7– सिद्धीक खान पुत्र स्व.निस्पत खान
8– तारून वी पुत्री स्व.निस्पत खान
9– गुड्डी वी पुत्री स्व.निस्पत खान
10– जैतून वी पुत्री स्व.निस्पत खान
11– आवेदा वी पुत्री स्व. निस्पत खान
12– कल्ली वी पुत्री स्व. निस्पत खान
13– नसरीन वी पुत्री स्व. निस्पत खान
हबीब खां पुत्र करीम खा (फौत) वारिसान
14– मुन्ने खान पुत्र स्व. हबीब खान
15– अल्ताफ खान पुत्र स्व. हबीब खान
16– गुफरान खान पुत्र स्व. हबीब खान
17– असगरी पुत्री स्व. हबीब खान
18– अफसाना पुत्री स्व. हबीब खान
केहरी खां पुत्र कल्ले खा (फौत) वारिसान
19– इब्राहिम खान पुत्र स्व. केहरी खान
20– इस्माईल खान पुत्र स्व. केहरी खान
21– फुरसत खान पुत्र स्व. केहरी खान
22– भूरे खां पुत्र स्व. केहरी खान
23– फारूख खान पुत्र स्व. केहरी खान
जामन अली पुत्र केहरी खान (फौत) वारिसान
24– असगर खान पुत्र स्व. जामन अली
25– जलाल खान पुत्र स्व. जामन अली
26– सूबा खान पुत्र स्व. जामन अली
27– काले खान पुत्र स्व. जामन अली
निवासीगण– ग्राम लखार तहसील नटेरन, जिला–विदिशा (म.प्र.)

...... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला–विदिशा

16.10.12 K.K. Dwivedi

4

उमराव खान पुत्र हल्ले खान (फौत) वारिसान

2— कासम खान पुत्र स्व. उमराव खान

3— शब्बीर खान पुत्र स्व. उमराव खान

4— अल्लन् खान पुत्र स्व. उमराव खान

5— शहीद खान पुत्र स्व. उमराव खान

हातिम खान पुत्र उमराव खान (फौत) वारिसान

6— हनीफ खान पुत्र स्व. हातिम खान

7— बल्लू पुत्र स्व. हातिम खान

8— अफसाना वी पुत्री स्व. हातिम खान

9— रिजवाना पुत्री स्व. हातिम खान

10— इरसाना पुत्री स्व. हातिम खान

11— अकतरी वी वेवा हातिम खान

12— कुवरा वी पुत्री उमराव खान

13— जमीला वी पुत्री उमराव खान

14— छोटी वी पुत्री उमराव खान

निवासीगण— ग्राम लखार तहसील नटेरन, जिला—विदिशा (म.प्र.)

मान. न्यायालय के आदेश दि. 18.1.18 के अनुसार संशोधन
1 इकबाल खाँ पुत्र [illegible] मृतक
2. अयूब खाँ पत्नी स्व. कुवराबी
3 अफसरी बी पुत्र [illegible] पुत्री कुंवराबी
4 मुख्तारी बी पुत्री कुवराबी
निवासी [illegible] विदिशा

...... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला—विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2006—07 अपील में पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा 41 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

मामूले के संक्षिप्त तथ्य :

1— यहकि, ग्राम लखार में स्थित भूमि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण का खानदान होकर जमीदार थे और उनका सजरा खानदान इस प्रकार है :—

सरदार खां (मृत)								
हल्ले खां (मृत)		दल्ले खां (मृत)						
उमराव खां (मृत)		केहरी खां (मृत)		करीम खा (मृत)				हकीम खां
हातिम खां (मृत) / / / / /	कासम खां शब्बीर खां अल्लन खां सईद खां कुवरा वी जमीला वी छोटी वी	इब्राहिम खां भूरे खां	इस्माइल खां फुरसत खां फारूख खां जामन अली (मृत) / / /	फेयाज खां निस्पत खां (मृत) / / /	भूरे खां	हबीब खां (मृत) / / / / /		
हनीफ खां, बल्लू, अफसाना, रिजवाना, इरसाना अख्तरी वी (वेवा हातिम)			असगर खां जलाल खां काले खां	आरिफ खां जावेद बाबू खां सिद्दीक खां तारून वी गुड्डी, जैतन, आविदा, नसरीन कल्ली वी		मुन्ने खां, अलताफ गुफरान असगरी अफसाना		

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-3573-पीबीआर/12 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह अपील अपर कलेक्टर जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 18/2006-07/अपील में पारित आदेश दिनांक 01.10.2012 के विरुद्ध म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 की धारा-41 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक उमराव खां को म0प्र0 सीलिंग एक्ट 1960 के अंतर्गत ड्राफ्ट स्टेटमेंट दिया जाकर उनकी भूमि क्र. 332 ग्राम लखार का 48-54 एकड़ भूमि का रकवा लिया गया था। जिस पर आवेदक द्वारा अनापत्ति पेश की गई जिसमें अतिशेष घोषित करने के लिए अन्य भूमि देना चाहा। उक्त आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी से लेकर राजस्व मण्डल तक अमान्य की गई। आवेदक द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की जहां से प्रकरण पुनः जांच एवं आदेश हेतु वापिस हुआ कि आवेदक जिस भूमि को रखना चाहता है उसे नहीं लिया जाए एवं जो भूमि छोड़ना चाहता है उस पर विचार कर आदेश दिया जाए। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.08.75 द्वारा ग्राम एचदा एवं सतपाड़ा द्वार की भूमि अतिशेष घोषित कर शासन में वेष्ठित किए जाने के आदेश दिए। जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर जिला विदिशा के समक्ष अपील पेश की गई। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 01.10.2012 के विरुद्ध राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 01.12.2012 को अग्राह्य की गई। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 1941/2013 प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 02.07.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर इस न्यायालय को प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर किए	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	जाने के आदेश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 01.10.2012 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है। 4/ प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिसीलन किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा धारक तथा सभी आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों पर विचार के उपरांत आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने समय-समय पर पक्षकारों द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्रों पर विचारोपरांत व्यक्त की गई इच्छा के प्रकाश में आदेश पारित किया गया है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परिणामत: यह अपील आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	